झअनुसूची 14–फारम सं०–562।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक–1941 का नियम 129)

आदेश–पत्रक – ....ता०.......................................से..................................तक

जिला– लखीसराय, वाद संख्या :–51 / 2015–16 सन् 2015

केश का प्रकार :– समपहरण वाद, राज्य बनाम होटल डी0 आर0 एस0 डिलक्स, प्रो0 संजय कुमार, पिता–रामबालक प्रसाद सिंह, सा0–कार्यानन्द नगर, पोस्ट व जिला–लखीसराय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29.01.2016	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक–667 / आ0, दिनांक–12.11.2015 द्वारा लखीसराय थाना कांड सं0–655 / 15 दिनांक–05.10.2015 के अंतर्गत जप्त घरेलू गैस सिलेन्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6A के तहत समपहरण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। श्री दीपक कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा के पत्रांक–111 / आ0, दिनांक–30.10.15 में उल्लेख है कि दिनांक–05.10.2015 को अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय / प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ चौक / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा एवं अन्य पुलिस बल की संयुक्त टीम के द्वारा होटल डी0आर0एस0 डीलक्स, विशहरी स्थान, पुरानी बाजार, लखीसराय में छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में भारत गैस का घरेलू गैस सिलेन्डर 14.2 Kg. का 1 एवं लोहे का गैस चूल्हा पाईप लगा हुआ–1, रेगुलेटर –1 पकड़ा गया। जब्त गैस सिलेन्डर एवं अन्य सामग्री को लखीसराय थाना की अभिरक्षा में रखा गया है। स्पष्ट है कि होटल संचालक द्वारा अवैध रूप से अनुदानित घरेलू गैस सिलिन्डर का होटल प्रतिष्ठान में उपयोग किया जाता है, जो कानूनी अपराध है। अतः होटल डी0 आर0 एस0 डिलक्स, प्रो0 संजय कुमार, पिता–रामबालक प्रसाद सिंह, सा0–कार्यानन्द नगर, पोस्ट व जिला–लखीसराय को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा–7 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा किया गया है। उपर्युक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि नामजद अभियुक्त होटल डी0 आर0 एस0 डिलक्स, प्रो0 संजय कुमार, पिता–रामबलक प्रसाद सिंह, सा0–कार्यानन्द नगर, पोस्ट व जिला–लखीसराय द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना प्रमाणित है। चूँकि जप्त घरेलू गैस नष्ट न हो, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखी0	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के ... में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
	को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त घरेलू गैस को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। पुनः आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(B) के तहत अभियुक्त को नोटिश निर्गत करें कि क्यों नहीं जप्त घरेलू गैस, आवश्यक वस्तु अधिनियम 6(A) के तहत समपहरण कर ली जाय। अभिलेख दिनांक-02.03.16 को उपस्थापित करें। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय। ज्ञापांक-......90......विधि, दिनांक-29.01.16. प्रतिलिपि :- अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय / अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय तथा थाना प्रभारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	